(2008) 8 एस.सी.आर. 1182

मैसर्स केबल कॉरर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0

बनाम

अतिरिक्त कमिश्नर ऑफ लेवर और अन्य

(सिविल अपील संख्या-7211 ऑफ 2005)

(डा0 अरिजित पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947:

धारा 25-एन(6) - का र्निवचन का धारित किया गयाः- व्याख्यान के एक साधारण प्रावधान को पढ़ने से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि दो तरीके खुले हुए हैं, उपयुक्त सरकार को यह शक्ति प्रदान की जाती है कि या तो वह किसी आवेदन पर स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर अपने आदेश का पुर्नविलोकन करे या मामले को अधिकरण को संदर्भित करे। चाह एक या दूसरे तारीके को गृहण किया जा सकता है। यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि प्रत्येक मामले के तथ्य और आस पास की परिस्थितियं और अन्य प्रकार के सुसंगत तथ्य कैसे हैं-

कानून की व्याख्याः-

एक प्रावधान का अर्थ धारण किया गयाः- जब किसी प्रावधान की भाषा सामान्य और अस्पष्टता परे है और केवल उसका एक ही अर्थ

निकलता है, तो फिर उस कानून का कोई जो स्वतः स्पष्ट है, तो अलग अर्थ निकालने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

- शब्द और वाक्यांशः-

शब्द, 'या' जो धारा 25 एन(6) औद्योगिक विवाद अधिनियम में इस्तेमाल किया गया है।

अपीलार्थी कम्पनी ने धारा 25 एन(2) औद्योगिक विवादित अधिनियम 1947 के तहत विर्निदिष्ट प्राधिकारी को एक प्रार्थना पत्र इस आशय को पेश किया कि उसके 509 कार्मिक जो उसके एक यूनिट में कार्यरत हैं, में से 280 कार्मिकों की छटनी कर दी जावे। यह प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश में वर्णित शर्तों पर 276 कार्मिकों को छटनी की अनुमति दी गई। इस आदेश का धारा 25 एन (6) उक्त अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त निर्णय को पुर्नविलोकन करने या मामले को न्याय निर्णियन के लिए संदर्भित करने के लिए चुनौती दी गई, प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। किन्तु उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में ये धारित किया कि मात्र इस आधार पर कि पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है, तो अधिनियम की धारा 25 एन (6) के तहत संदर्भ को वर्णित नहीं कहा जा सकता है और उसी अनुसार विर्निदिष्ट प्राधिकारी को निर्देशित करते हुए मामले को न्याय निर्णयन के लिए औद्योगिक अभिकरण को संदर्भित किया जावे। नियोक्ता द्वारा वर्तमान अपील में यह तर्क दिया गया था कि एक बार पुर्नविलोकन

याचिका का निपटारा कर दिया गया था तो इस मामले को आगे संदर्भित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। अधिनियम की धारा 25 एन (6) की इस स्पष्ट भाषा के प्रावधान जो 'या' के सम्बन्ध में है, जिसका यह उपबंध कि अन्य कोई वैकल्पिक उपचार पुर्नविलाकन याचिका खारिज करने के बाद संदर्भ करने का उपबंध नहीं है।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कथन कियाः-

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एन (6) को साधारणतः पढ़ने पर यह दर्शित होता है कि दो विकल्प खुले है, उचित सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि या तो वह अपने स्वंय के विवेक पर या किसी अन्य आवेदन पर समीक्षा का आदेश करें या मामले को अभिकरण को सदंर्भित करे। दोनों में से किसी भी एक विकल्प को अपनाया जा सकता है। यह बात प्रत्येक मामले के तथ्यों, आसपास की परिस्थितियों या सुसंगत कारकों पर निर्भर करता है। (पैरा 6 और 15)(1187-एच, 1188-ए, 1189-डी) ओड़ीसा टैक्सटाइल और स्टील लि. बनाम ओड़ीसा राज्य और अन्य 2002 (2) एससीसी 578 अंतर किया।

एक्सल वीयर बनाम भारत संघ व अन्य 1978(4) एससीसी 224, वर्कमैन ऑफ मीनाक्षी मिल्स लि. और अन्य बनाम मीनाक्षी मिल्स लि. और अन्य 1992(3) एससीसी 336 - संदर्भ में।

मुम्बई कामगार सभा, बॉम्बे बनाम अब्दुल भाई, फजुल भाई और अन्य एआईआर 1976 एससी 1455, राज्य जनरल कामगार मण्डल और

अन्य बनाम उपाध्यक्ष, पैककार्ट प्रैस डिवी. अम्बालाल साराभाई एन्टप्राइजैज, बड़ौदा और अन्य 1995 पप सीएलआर -613 सिटेड.

'या' शब्द आमतौर पर व्यवधान कारित होता है और 'और' आम तौर पर विशेषण होता है, लेकिन कभी कभी वे विधायिका के जाहिर इरादे को एक तथ्य देने के लिए उलट पुलट (Vice Versa)के रूप में इस्तेमाल किये जाते है, जैसा कि संदर्भ से पता चलता है। (पैरा 12) (1188-ई)

फकीर मोहम्मद (मृत) द्वारा एलआरएस बनाम सीताराम 2002 (1) एससीसी 741- संदर्भ में।

जब कानून के शब्द स्पष्ट असंदिग्ध और सामान्य हैं तो यानि वे केवल एक ही अर्थ के लिए विशिष्ट हैं तो उस कानून के शब्द के विर्निमाण का कोई सबाल ही नहीं उठता है और अदालत परिणाम की परवाह किये बिना उस अर्थ के लिए एक तथ्य देने को बाध्य हैं।

झारखण्ड राज्य बनाम गोविन्द सिंह एआईआर 2005 एससी 294 और नत्थी देवी बनाम राधा देवी गुप्ता 2005(2) एससीसी 271:-

सुस्सेक्स पीरागे केस (1844) 11 सीआई ऊएफ 85- संदर्भ में।

सिविल अपीलेट क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 7211 वर्ष 2005

बाम्बे उच्च न्यायालय पीठ अपील नं. 693/2004 एण्ड रिट पिटीशन संख्या 1947/2003 निर्णय दिनांकित 05.04.2005.

टी.आर. अन्धियारूजिना, रंजीत कुमार, जे. पी. कामा, मुकुल रोहतगी

एल नागेश्वर राव, पी.के. रेले, श्याम दीवान, यू.यू. ललित, अखिल सिबाई, आर.एन. करंजावाला, प्रज्ञासिंह बघेल, मानू अग्रवाल, अबीर कुमार, रूबीसिंह आहूजा, मानिक करंजावाला, पी.सी. सेन, पल्लव कुमार, बिनू तामता, आर.आर. कुमार बेन्नेट डी कोस्टा, संजय सिंघवी, अरशद शेख, भारत सिंघल, आर.एन. शाह, मानू आग्रवाल, विनय नवारे, मीना दोषी और अभा, आर. शर्मा पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

डा0 अरिजित पसायत, जे.:-

इस अपील में सीधी चुनौती बम्बई उच्च न्यायालय की एकलपीठ के फैसले को दी गई है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार है कि एक बार औद्यौगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एन (6) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (संक्षेप में अधिनियम पढ़ा जावे) एकबार समीक्षा आवेदन खारिज कर दिया गया तो उचित सरकार या विर्निदिष्ट प्राधिकारी न्याय निर्णयन के लिए विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत मामले को संदर्भित करने के लिए विबंधित नहीं किया गया है। मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं किः-

अपीलार्थी कम्पनी 1957 में वोल्टेज विद्युत तार और केविल्स के विर्निमाण के लिए 1957 में स्थापित की गई थी। कम्पनी के पास एक यूनिट बोरीवली और दूसरी यूनिट नासिक में उत्पादन के लिए स्थापित की गई थी। वर्तमान मामले में हम कम्पनी की बोरीवली यूनिट के सम्बन्ध में

विचार करेगें। कम्पनी ने धारा 25 एन (2) औद्यौगिक अधिनियम के तहत विर्निदिष्ट प्राधिकारी को दिनांक 16.01.2003 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसके 509 कार्मिक जो उसकी बोरीवली यूनिट में कार्यरत है, में से 280 कार्मिकों की छटनी कर दी जाये। विर्निदिष्ट प्राधिकारी ने कम्पनी कार्मिको और अन्य हितधारी व्यक्तियों जिसमें कि कार्मिक संघ को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए और जॉच संचालन करते हुए आदेश दिनांक 29.04.2003 को कम्पनी के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 509 में से 276 कार्मिको को आदेश में वर्णित शर्तों के साथ छटनी करने का आदेश दिया। उक्त निर्णय की वैधता को कार्मिक संघों प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 द्वारा 25 एन (6) औद्यौगिक अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त आदेश की समीक्षा करने या मामले को न्याय निर्णयन के लिए संदर्भित करने का चुनौती देकर निवेदन किया। आदेश दिनांक 09.07.2003 के द्वारा संघों के प्रार्थना को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि ऐसा प्रार्थना पत्र केवल श्रर्मिकों द्वारा ही दिया जा सकता है जबकि यह प्रार्थना पत्र संघों के द्वारा दिया गया है, इसके अलावा यह भी निर्धारित किया गया कि समीक्षा याचिका प्रक्रिया में कोई नया बिन्दु नहीं था, जिसका नये सिर से परीक्षण हो। उसी अनुसार दोनों प्रार्थना पत्र समीक्षा/संदर्भ खारिज कर दिये गये।

विर्निदिष्ट अधिकारी के उक्त कथित आदेश को रिट याचिका नं. 1947/2003 के द्वारा प्रत्यक्षी संख्या 2 संघ ने चुनौती दी जो एकल

न्यायाधीश द्वारा दिनांक 02'.08.2004 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने विनिश्चय में यह निर्धारित किया कि विर्निदिष्ट प्राधिकारी के द्वारा जो मत संघों को कोई अधिकार न होने के सम्बन्ध में और सभी व्यथित श्रमिकों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार न बनाने के बावत दिया गया। यह मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मुम्बई कामगार सभा बॉम्बे बनाम मैसर्स अब्दुल भाई व फैजल भाई व अन्य (एआईआर 1976 एससी पृष्ठ 1455) के विपरीत है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे यह भी कथन किया है कि समीक्षा कराने का अधिकार केवल सीमित आधारों पर ही सम्भव है और कोई नया बिन्दु संघों द्वारा पेश नहीं किया गया है और समीक्षा कराने की प्रार्थना को सही प्रकार से खारिज किया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने गुजरात उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच के द्वारा राज्य जनरल कामगार मण्डल व अन्य बनाम उपाध्यक्ष पैकार्ड प्रैस डिवीजन अम्बालाल साराभाई एन्टर प्राईजैज बड़ौदा व अन्य और अन्य (1995 पप सीएलआर -613) पर विश्वास करते हुए आगे यह निर्धारित किया कि मात्र इस कारण से समीक्षा आवेदन खारिज कर दिया गया है संदर्भ को धारा 25 एन (6) अधिनियम के तहत वांछित नहीं माना जा सकता है और इसी अनुसार विर्निदिष्ट अधिकारी को मामले को औद्यौगिक अभिकरण को धारा 25 एन (6) अधिनियम के अनुसंरण में न्याय निर्णयन के लिए संदर्भित करने का निर्देश दिया है।

विद्वान एकल न्यायाधीश और खण्डपीठ दोनों के समक्ष अपीलांट का स्पष्ट रूख यह था कि एकबार समीक्षा आवेदन का निपटारा हो जाने के बाद धारा 25 एन (6) अधिनियम की स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए आगे संदर्भ करने की गुंजाईश नहीं है जो विकल्पों के लिए प्रदान करता है और समीक्षा आवेदन खारिज होने के बाद संदर्भ पेश किये जाने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। दोनों एकल न्यायाधीश और खण्डपीठ ने इसके विपरीत माना है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलकर्ता का यह तर्क है कि दोनों अर्थात विद्वान एकल न्यायाधीश और खण्ठपीठ ने इस तथ्य का पक्ष खो दिया हे कि प्रावधान की भाषा बहुत स्पष्ट है और उपयोग की जाने वाली निर्धारक अभिव्यक्ति जो 'या' के उपयोग की बावत प्रस्तुत किया गया है, यदि विद्वान एकल न्यायाधीश और खण्ठपीठ के दृष्टिकोंण को स्वीकार किया जाता है तो इसका अर्थ होगा 'या' के स्थान पर 'और' को प्रतिस्थिापित कर दिया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यक्षी का दूसरी ओर यह तर्क है कि इस न्यायालय के उड़ीसा टैक्सटाइल एण्ड स्टील लि. बनाम उड़ीसा सरकार व अन्य 2002 (2) एससीसी 578 में दिये गये मतानुसार आगे मान्य नहीं है, उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश और खण्ठपीठ के द्वारा दिया गया मत गलत नहीं है। संदर्भ पेश करने के लिए यह एक अतिरिक्त सुरक्षा है, इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए कि

समीक्षा किये जाने का क्षेत्र सीमित है जो कि अन्य तथ्यों की तरह इस बात से भी प्रकट है कि संदर्भ किये जाने की समय सीमा 30 दिन उपबंधित है। यह शीघ्र आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं।

5- तथ्यात्मक स्थिति को विवरण सहित संदर्भ करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि इस मामले का परिणाम धारा 25 एन (6) अधिनियम के प्रावधान के निवचन पर आधारित है।

6: धारा 25 एन (6) उक्त अधिनियम निम्न प्रकार वर्णित करता है:-

> "उचित सरकार या विर्निदिष्ट प्राधिकारी या तो स्वंय के द्वारा या किसी नियोक्ता या किसी श्रमिक की याचिका पर अपने आदेश की समीक्षा की अनुमति दे सकता है या इसकी इजाजत देने से इन्कान उपधारा 3 के तहत कर सकता है। या मामले की जैसी भी स्थिति हो किसी अभिकरण को न्याय निर्णयन के लिए संदर्भित कर सकता है। यह भी उपबंध किया गया है कि जब इस उपधारा के अंतर्गत मामले को अभिकरण को संदर्भित किया गया है तो वह उस संदर्भ किये जाने की तिथि से 30 दिन के अंदर पंचाट पारित करेगा।" (रेखांकित भाषा)

7. एक्स वीयर बनाम भारत संघ व अन्य (1978 (4) एससीसी 224 में इस न्यायालय ने धारा 25-ओ- धारा 25-आर जो उस समय

स्थापित थी की वैधता पर विचार किया है और यह निर्धारित किया है कि उक्त प्रावधान भारतीय संविधान 1950 (संक्षिप्त में संविधान) के अनुच्छेद 19(1जी) की अवहेलना करता है। यह मत प्रकट किया गया है कि धारा 25 एन जैसा कि यह स्थापित था धारा 25-ओ में नहीं पढ़ा जा सकता है।

8- वर्कमैन मीनाक्षी मिल्स लि0 और अन्य बनाम मीनाक्षी मिलस लि0 और अन्य (1992 (3) एससीसी 336) में धारा 25 एन औद्योगिक विवाद (संशोधन अधिनियम 1984) जैसा कि तब प्रतिस्थापित होने से पहले स्थापित था पर विचार किया गया। धारा 25-ओ अधिनियम संख्या 46 सन् 1982 दिनांक 21.08.1984 से प्रभावित पुर्ननिर्मित नहीं किया गया। उसी प्रकार अधिनियम संख्या 49 धारा 1984 18.08.1984 से प्रभावित घारा 25 एन में संशोधन किया गया। धारा 25 एन-5 के अंतर्गत अन्तिमता उपधारा 6 के उपबंध के साथ दी गई है। सामान्य अध्ययन करने पर यह प्रावधान दर्शित होता है कि दो विकल्प उपलब्ध है, जैसे कि मामले को स्वंय निस्तारित करना या अभिकरण को संदर्भित करना। यह नहीं कहा जा सकता कि अभिकरण मामले को नये सिर से देखने के लिये अतिरिक्त आयोग हो।

9. उडीसी टैक्सटाइल्स केस (पूर्व वर्णित) में धारा 25-ओ अधिनियम की वैधता विचारण के लिए लम्बित है।

10- प्रत्यक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने बृहत विश्वास निर्णय के पैरा नं. 16, 17, और 18 पर किया है क्योंकि इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये र्निवचन को स्वीकार किया है।

11- निर्णय के निकटता से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त मामले में वर्तमान में विचारण में लिये जाने के बिन्दु पूर्व के मामले के विचारण में नहीं थे। संक्षिप्त परिणाम जो उस मामले में था कि संशोधित धारा 25-ओ का प्रावधान मामले की समीक्षा या संदर्भ के लिए अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के अन्तर्गत याचिका समीक्षा से अलग होगी। न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या समीक्षा और संदर्भ के प्रावधान न्यायिक समीक्षा के अलावा थे। यह कभी नहीं कहा गया कि यह प्रावधान संयुक्त हो और विकल्प में न हो।

12- शब्द 'या' सामान्यतः संधी तोड़ने वाला है 'और; सामान्यतः मेल करने वाला है लेकिन किसी समय पर ये शब्द एक दूसरे के उलट भी पढ़े जा सकते हैं, जिससे कि विधान का औचित्य पूर्ण उद्देश्य मामले के संदर्भ स्पष्ट हो सकते है व जेसा कि स्क्रूटन. एल.जे. .... के द्वारा कहा गया है कि:-

'' कभी-कभी कानून में 'या' को 'और; पढ़ लिया जाता है लेकिन ये आवश्यक तब तक नहीं है जब तक यह बाध्यकारी न हो क्योंकि 'या' का सामान्य अर्थ 'और' नहीं और 'और' के सामान्य अर्थ 'या' नहीं है और जैसा कि लॉर्ड हस्बरी द्वारा अंकेक्षित किया गया है कि 'या' शब्द को 'और'

के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। जबकि कि कानून का वही भाग या उसका स्पष्ट आशय ऐसा करना वांछित न बनाता हो लेकिन शब्द के शाब्दिक पठन से कोई अस्पष्ट और बेतुका परिणाम प्रकट हो तो 'और' 'या' के रूप में पढ़ा जा सकता है और 'और' 'या' के लिए पढ़ा जा सकता है। यद्यपि इस प्रकार के बदलते हुए शब्द से कोई काम पक्षपाती विषय उपबंधित होता है और वैधानिक प्रावधान अन्य प्रकार से स्पष्टतः दर्शित करता है। इसके विपरीत यदि 'और' को 'या' पढ़ने से व्याकरणिक विकृति या कोई उपाशय उस भाग के पालन करने पर प्रकट हो तो 'और' को 'या' नहीं पढ़ा जा सकता है अर्थात 'या' को 'और' पढ़ा जा सकता है।

13- इससे जुड़ा विकल्प हमेशा 'या' परस्पर अनन्यन नहीं होना चाहिए। फकीर मोहम्मद (मृतक) द्वारा विधि प्रतिनिधि बनाम सीताराम 2002 (2) एससीसी 741 जिसमें यह निर्धारित किया गया कि शब्द 'या' सामान्यतः व्यवधान कारित होता है और शब्द 'या' का विधि में इस्तेमाल करना कानून की वैकल्पिक उपबंधों के आशय को दर्शित करता है।

14- विधायिका का इरादा यह था कि संदर्भ तब दिया जा सकता है जब सरकार या विर्निर्दिष्ट प्राधिकरण समीक्षा शक्ति से निपटता है, उसने विशेष रूप से विशिष्ट शब्दों के माध्यम से ऐसा कहा होगा यह प्रत्यक्ष संदर्भ के लिए प्रदान किया गया होगा। समीक्षा के पैरा मीटर संदर्भ से भिन्न होते हैं।

15- प्रावधान को सामान्यतः पढ़ने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि दो विकल्प खुले है, उचित सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि या तो वह अपने स्वंय के प्रस्ताव पर या किसी अन्य आवेदन पर समीक्षा का आदेश करें या मामले को अभिकरण को संर्भित करे। दोनों में से किसी भी एक विकल्प को अपनाया जा सकता है। यह बात प्रत्येक मामले के तथ्यों, आसपास की परिस्थितियों या सुसंगत कारकों पर निर्भर करता है।

16- धारा 25 एन उपधारा 6 के अंतर्गत उचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वह अपने आदेश की समीक्षा को स्वीकार करें या उसकी अनुमति देने से इन्कार करे, जिसका प्रावधान उपधारा 3 में किया हुआ है।

17- जब कानून के शब्द स्पष्ट असंदिग्ध और सामान्य हैं तो यानि वे केवल एक ही अर्थ के लिए विशिष्ट हैं तो उस कानून के शब्द के विर्निमाण का कोई सबाल ही नहीं उठता है और अदालत परिणाम की परवाह किये बिना उस अर्थ के लिए एक तथ्य देने को बाध्य हैं।

झारखण्ड राज्य बनाम गोविन्द सिंह एआईआर 2005 एससी 294 और नत्थी देवी बनाम राधा देवी गुप्ता 2005(2) एससीसी 271:-

18- कानून के शब्द अपने आप में मूल्य और स्पष्टता से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं उन शब्दों को प्राकृतिक और सामान्य अर्थ में व्याख्या करने के लिए जो शब्द स्वंय ऐसे मामलों में अकेले ही प्रयुक्त

करते हैं वह कानून विदों के आशय को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के लिए पर्याप्त होते हैं।

19- जब किसी कानून की भाषा साधारण और अस्पष्टता से परे है और उसका केवल एक ही अर्थ निकाला जा सकता है तो फिर उसके विधि अनुसार अन्य अर्थ निकालने का प्रश्न ही पैदा नही होता। कानून अधिनियम स्वयं ही स्पष्ट वर्णन देता है।

20- नत्थी देवी के मामले में (जैसा कि ऊपर वर्णित है) यदि प्रयोग किया गया शब्द केवल एक ही शब्द निर्मित करता है, तब न्यायालय को यह अख्त्यार नही होगा कि वह अपनी ओर से मनमाना शब्द इस आधार पर विनिर्मित कर लें कि ऐसा शब्द अधिनियम के उद्देश्य और नीति से अधिक मेल खाता है। कानून की आत्मा बनावटी, जादुई, असुरक्षित और अनुमानित आत्मा के आधार पर निश्चित रूप से प्रभावी नही की जा सकती है, जबकि अधिनियम की धारा की भाषा उसके विरूद्ध प्रकट न हो रही हो।

21- उपरोक्त दिये गये विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए यह अनिवार्य परिणाम है कि यह अपील जैसा कि हमारे निर्देश है, स्वीकार की जा सकती है।

अपील स्वीकार की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल ''सुवास'' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **जमीर हुसैन सैयद (आर.जे.एस.)** द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंगे्रजी संस्करण ही मान्य होगा।